प्रेस विज्ञप्ति
18/4/2024

ईडी, जालंधर ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में लुधियाना स्थित कंपनी मेसर्स एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के स्वामित्व वाले 81.03 करोड़ रु. के शेयर के रूप में चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। शेयरों में मेसर्स रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के 36,92,930 वरीयता (प्रिफरेंश) शेयर और मेसर्स सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 40,41,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों का नियंत्रण इस मामले के एक आरोपी नीरज सलूजा द्वारा किया जाता है, जिसे ईडी ने 18.01.2024 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

ईडी ने मेसर्स एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 1530.39 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और ऋण राशि के अवैध डायवर्जन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बैंकों के संघ से ली गई ऋण राशि के एक हिस्से को, लिए गए ऋण के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए, अपनी संबंधित संस्थाओं मेसर्स रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स पार्क लिमिटेड और मेसर्स सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में धोखाधड़ी से स्थानांतरित करके अपराध की आय अर्जित की थी।

इससे पहले, इस मामले में जांच के दौरान लगभग 829 करोड़ रुपये की संपत्ति, जिसमें भूमि और मशीनरी के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 04 स्थानों पर स्थित संयंत्र और भवन शामिल हैं, की अस्थायी कुर्की की गई थी जिसकी पुष्टि पीएमएलए के लिए माननीय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई है।

आगे की जांच जारी है।